

21/5/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय हाजा को राजस्थान  
काश्तकारी भविष्यम 1955 सुनने का क्षेत्राधिकार  
है चूंकि अपील धारा-75 लेण्ड रैवेन्यू एक्ट के  
अन्तर्गत आती है एवम न्यायालय हाजा को  
इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय उपरकण  
अधिकारी रिक्ति को पुनः भौयथा जा रहा है  
पूकरण आगामी पेशी दिनांक 2/7/24 को पेश  
होगा।

my

